सं० सं०–टी–3/भवन–18/2008–...130.../

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), नियोजन भवन, बेली रोड, बिहार, पटना।

प्रेषक,

विशेष सचिव,
श्रम संसाधन विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

/पटना, दिनांक–..17../..01../2

विषय:– औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सुपौल के परिसर में ट्रांसफॉर्मर के अधिष्ठापन हेतु कुल राशि 3,57,583.00 (तीन लाख सन्तावन हजार पाँच सौ तेरासी) रू० मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक संबंध में कहना है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सुपौल के परिस[र में] ट्रांसफॉर्मर के अधिष्ठापन हेतु विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्त्ति प्रमंडल, सुपौल द्वारा तकनीकीं अनुमोदित प्राक्[कलन] प्रभारी प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सुपौल के पत्रांक–501, दिनांक–04/12/2018 द्वारा कुल राशि 3,57,5[83.00] (तीन लाख सन्तावन हजार पाँच सौ तेरासी) रू० मात्र का प्राप्त हुआ है। विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्त्ति प्र[मंडल], सुपौल से प्राप्त प्राक्कलन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल राशि 3,57,583.00 (तीन लाख सन्तावन हजार [पाँच] सौ तेरासी) रू० मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2– इस योजनान्तर्गत राशि की निकासी मुख्य शीर्ष 2230–श्रम, रोजगार और कौशल विकास, उप मुख्य शीर्ष [03]–प्रशिक्षण, लघु शीर्ष 101–औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, उप शीर्ष–0001–औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का प्रश[ासन] राज्य परिषद्, विपत्र कोड–26–2230031010001 के विषय शीर्ष–0001.13.01 कार्यालय व्यय स्कीम से वित्तीय [वर्ष] 2018–19 में प्रावधानित राशि से की जाएगी।

3– इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सुपौल होंगे [तथा] इसके नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, (प्रशिक्षण–पक्ष) बिहार, पटना होंगे।

4– इस राशि की निकासी जिला कोषागार, सुपौल से की जायेगी।

5– संचिका संख्या–टी–3/भवन–18/2008 के पृष्ठ –13../टि० पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति [प्राप्त] है।

6– प्रस्ताव में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

विशेष सचिव,
श्रम संसाधन विभाग

ज्ञापांक– टी–3/भवन–18/2008 – 130 .... /पटना, दिनांक–..17../..01../2019

प्रतिलिपि:–माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/योजना एवं विकास विभाग (चार प्रतियों में)/[वित्त] विभाग (बजट शाखा)/विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग के प्रधान आप्त सचिव/[संयुक्त] श्रमायुक्त–सह–आंतरिक वित्तीय सलाहकार, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

विशेष सचिव,
श्रम संसाधन विभाग

ज्ञापांक– टी–3/भवन–18/2008 – 130 .... /पटना, दिनांक–..17../..01../2019

प्रतिलिपि:–आयुक्त, कोशी प्रमण्डल, सहरसा/जिला पदाधिकारी, सुपौल/जिला कोषागार पदाधिकारी, सु[पौल]/विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्त्ति प्रमण्डल, सुपौल/प्रभारी प्राचार्य, औ0 प्र0 संस्थान, सुपौल/मुख्यालय के [रोकड़] पदाधिकारी/मासिक व्यय विवरणी शाखा/बजट शाखा/योजना शाखा/आई० टी० मैनेजर (विभागीय वेबसाइट [पर] प्रकाशनार्थ), श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

विशेष सचिव,
श्रम संसाधन विभाग